



Mail ID: zdr_arsh@yahoo.com फोन नं. 02962-280070 फेक्स नं. 02962-260013 (का.)

कृषि अनुसंधान केन्द्र, दाहोद रोड, बाँसवाड़ा (राज.) 327 001

क्रमांक : एफ () / कृजके/स्टोर/2026/270-74 दिनांक : 19/02/2026

इना की नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, बाँसवाड़ा पर प्रेड्रेड चना लगभग 75.20 बिंदन मंत्र बाखदान की नीलामी हेतु रोड बंद लिफाफे में दिनांक 25/02/2026 को दोपहर 01.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है तत्पश्चात उसी दिन कमेटी के समक्ष दोपहर 02:00 बजे लिफाफे खोले जाएंगे। अतः इच्छुक व्यक्ति / ठेकेदार धरोहर राशि रु 6000/- नगद के साथ बंद लिफाफे में दो परकर निश्चित तिथि, समय एवं स्थान पर नीलामी में उपस्थित हवे। उन्वयन वर जिस निविदादाता की होगी, उसे निविदा की कुल राशि का 50 प्रतिशत तुलन अमा करवना होगा एवं शेष 50 प्रतिशत राशि का बैंक देना होगा। सम्पूर्ण राशि अमा होने के बाद ही उक्त चना को ले जाने की स्वीकृति प्रदान कि जायेगी। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय समय में सम्पर्क की।

संभागीय निदेशक अनुसंधान

Office of Krishi Upaj Mandi Samiti (F&V) Udaipur

Ref No./ e-NAM / 2025-26 / 883-91 Dated:- 13/02/2026

NIB NO.: 02 / 2025-26 DATED : 13-02-2025

E-Bids are invited from Manufacturers/ Direct Importers/ Authorized Dealer up to 5.00 P.M. of 24.02.2026 for procurement of Cleaning, Grading Unit For Fruits and Vegetable for E-nam Scheme on behalf of office of the Secretary, Krishi Upaj Mandi Samiti (F&V) Udaipur. Details may be seen in the Bidding Document at the office of the Krishi Upaj Mandi Samiti (F&V) Udaipur or State Public Procurement Portal website "sppp.raj.nic.in" or "https://eproc.rajjasthan.gov.in" or website "www.managri.agriculture.rajjasthan.gov.in". The bidding document may be downloaded from either of the above websites and uploaded duly filled in with payment of Rs. 500/- through banker's cheque /demand draft in favour of Secretary, Krishi Upaj Mandi Samiti (F&V) Udaipur at Udaipur Details of bid are following:-

S.No.	BID Title	UBN No
1	Cleaning, Grading Unit For Fruits And Vegetables	DAM2526GLOB01209

Raj.Samwad/C/25/20863

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक-F.32 (B) (After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/7/3

दिनांक-20.02.2026

मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुकाप्रत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आड्रा क्रमांक प.4 (1) वित्त/आ/ 2026 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के ऑनलाईन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट <https://iems.rajjasthan.gov.in> पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	06-03-2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajjasthan.gov.in> से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑक्शन में निर्धारित प्रक्रियानुसार दिनांक 20.02.2026 प्रातः 11.00 बजे से एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाईन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सदस्यग्न राजस्थान सरकार के पोर्टल <https://sso.rajjasthan.gov.in> पर "Citizen" लेटेगी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।

2. नीलामी को कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की अवधि एवं उसके पश्चात जब तक बोली लगनी रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।

3. बोलीदाता को कम से कम रु. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के गुणांक में बढ़ाकर बोली लगनी होगी।

4. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढ़ाकर बोली नहीं लगा सकेगा।

5. कलस्टर का जितेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट <https://iems.rajjasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा।

6. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि व्यापसंग नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक <https://iems.rajjasthan.gov.in> वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भूतलान द्वारा इस वेबसाईट पर अमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगा। ऑनलाईन भूतलान नहीं होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां अमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाने के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

7. प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइस की 2 प्रतिकांश राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ अमा करनी होगी। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी अमा करनी होगी।

8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, के अनुसार अमा करनी होगी।

9. निश्चित समय में वांछित राशियां यथा-धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस अमा न करने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त अमा राशि जलराज की जायेगी।

10. वर्ष 2026-27 के पात्र अनुभागीयों को वर्ष क्रमशः 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुपात्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।

11. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट <https://iems.rajjasthan.gov.in> पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा-निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।

12. मदिरा कलस्टर के बन्दोखत हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत निदान एवं नियमों, आबकारी एवं मध्यधन्यम नीति वर्ष 2025-29 व संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संविधान अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हों। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश <https://iems.rajjasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अधिकृत आयुक्त जन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

13. ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्राधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगें।

आबकारी आयुक्त, राजस्थान

DIPRC/3631/2026

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक-F.32 (B) (After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/7/3

दिनांक-20.02.2026

मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुकाप्रत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आड्रा क्रमांक प.4 (1) वित्त/आ/ 2026 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के ऑनलाईन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट <https://iems.rajjasthan.gov.in> पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	06-03-2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajjasthan.gov.in> से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑक्शन में निर्धारित प्रक्रियानुसार दिनांक 20.02.2026 प्रातः 11.00 बजे से एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाईन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सदस्यग्न राजस्थान सरकार के पोर्टल <https://sso.rajjasthan.gov.in> पर "Citizen" लेटेगी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।

2. नीलामी को कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की अवधि एवं उसके पश्चात जब तक बोली लगनी रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।

3. बोलीदाता को कम से कम रु. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के गुणांक में बढ़ाकर बोली लगनी होगी।

4. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढ़ाकर बोली नहीं लगा सकेगा।

5. कलस्टर का जितेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट <https://iems.rajjasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा।

6. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि व्यापसंग नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक <https://iems.rajjasthan.gov.in> वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भूतलान द्वारा इस वेबसाईट पर अमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगा। ऑनलाईन भूतलान नहीं होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां अमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाने के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

7. प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइस की 2 प्रतिकांश राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ अमा करनी होगी। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी अमा करनी होगी।

8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, के अनुसार अमा करनी होगी।

9. निश्चित समय में वांछित राशियां यथा-धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस अमा न करने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त अमा राशि जलराज की जायेगी।

10. वर्ष 2026-27 के पात्र अनुभागीयों को वर्ष क्रमशः 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुपात्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।

11. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट <https://iems.rajjasthan.gov.in> पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा-निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।

12. मदिरा कलस्टर के बन्दोखत हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत निदान एवं नियमों, आबकारी एवं मध्यधन्यम नीति वर्ष 2025-29 व संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संविधान अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हों। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश <https://iems.rajjasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अधिकृत आयुक्त जन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

13. ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्राधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगें।

आबकारी आयुक्त, राजस्थान

DIPRC/3631/2026

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर (राईस) द्वारा संचालित **कार्यालय प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय देवलैन जिला करौली**

ई-मेल-SHRAWANGARGSITAPUR@GMAIL.COM, Mob.9166232666

क्रमांक-निविदा/2025-26/583 दिनांक- 12.02.2026

खुली निविदा सूचना संख्या- 08/2025-26

राजस्थान रेंजिमेंटियल एड्जुकेशन इन्स्टीट्यूशनल सोसायटी (राईस) जयपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के प्रशासनिक प्रियंत्रणाधीन संचालित देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, देवलैन जिला करौली में Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 तथा Rajasthan Transparency in Public Procurement Rule 2013 एवं मानव संसाधन की सेवाओं के उपपनौ के संबंध में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.2 (1) वित्त / एसपीएफसी/2017 अनुसार दिनांक 30.04.2018, 09.07.2021 एवं एफए (11)/एफसी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.11.2018 के तहत विविध मानव सेवा (चौकीदार, पन्थर व इलेक्ट्रिशियन, मैक कर्म (हेड कुक, कुक), सफाईकर्मी, बागवान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं प्रयोगशाला सेवक कार्य) की सेवाएं कायदेशि जारी होने की दिनांक से एक वर्ष के लिए जॉब बेसिस पर उपलब्ध क्वाये जाने हेतु इच्छुक श्रम आपूर्ति कर्ता/विशेष सहायता समूहों / संवेदकों से निम्नानुसार ई निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र. ऑर्डर बेसिस सं	कार्य का नाम	खरीदने छात्रा संख्या	कर्मिकों की संख्या	अनुमानित राशि (लाखों में)	अनुमानित राशि प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रोसेसिंग राशि	अमानता राशि (2 प्रतिशत)
1	चौकीदार-4, पन्थर व इलेक्ट्रिशियन-1, मैक कर्म (हेड कुक-1, कुक-4), सफाईकर्मी-3, बागवान-1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-3 एवं प्रयोगशाला सेवक-2	280	19	27 लाख	1000/-	500/-	54000/-
2	ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डेटाशीट इत्यादि डाउनलोड करने की तिथि व समय						13.02.2026 बजे दोपहर 01
3	ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि एवं समय						13.02.2026, बजे दोपहर 01
4	ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डेटाशीट अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय						23.02.2026 बजे दोपहर 02
5	अमानता राशि, निविदा शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय						सांय 04 बजे
6	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय						24.02.2026 प्रातः 11 बजे

ऑनलाईन बिडिंग के लिये निविदादाता का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है। निविदा दस्तावेज मद्य शर्तें www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं sppp.rajjasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तकनीकी निविदा उनी निविदादाताओं की खोली जायेगी जिसके द्वारा दिनांक 23.02.2026 को सांय 04 बजे तक निविदा प्रतिकृति राशि 54000/- रु. के डिमाण्ड ड्राफ्ट (Principal Devnarayan Govt. Girls Residential School Devlen, Karauli के नाम) एवं निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 1000/- रु के डिमाण्ड ड्राफ्ट / ई-मास भूतलान चालान (Principal Devnarayan Govt. Girls Residential School Devlen, Karauli के नाम) तथा ई. निविदा प्रोसेसिंग प्रक्रिया शुल्क 500/- रु के डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-मास भूतलान चालान Managing Director RISL Jaipur (payable at jaipur) के नाम कार्यलय में बंद लिफाफे में पैक द्वारा अथवा व्यक्तिशः मूल जान जायेगा हो। तकनीकी / वित्तीय निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाने अथवा तकनीकी समस्या होने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी। उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अघोहस्तारक को होगा। निविदा प्रपत्र में वांछित समस्त कॉलमों की पूर्ति अनिवार्य होगी। किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार उपपन्न समिति को होगा। निविदा प्रपत्र को वेबसाइट <http://eproc.rajjasthan.gov.in> एवं <http://sppp.rajjasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा ईकैलेंडर फॉर्मेट में वेबसाइट <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर जमा करवानी होगी। निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्तें कार्यालय में कार्यालय समय एवं www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं sppp.rajjasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

UBNN NO- SOC2526SLOB00412

NIB- SOC2526A0383

प्रधानाचार्य

देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय देवलैन, जिला करौली

DIPRC/3493/2026

पालरा औद्योगिक क्षेत्र में साँस फैक्ट्री पर कार्रवाई

अजमेर । खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त टी. शुभमंगला, राजस्थान जयपुर के निर्देश तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ज्योत्सना रंगा के आदेशों की अनुपालना में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में विशेष कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने पालरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स डी के एस फूड्स का निरीक्षण किया।



खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने पालरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स डी के एस फूड्स का निरीक्षण किया।

7600 किलो स्टॉक सीज किया

द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान स्नेक साँस (एफिक बांड) के दो नमूने जांच के लिए लिए गए जयपुर मुख्यालय से पूर्व में इसी ब्रांड की स्नेक साँस का नमूना अनसेफ पाए जाने के बाद संबंधित सामग्री को रिक्वाँल करने और बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश जारी

किए गए थे। निरीक्षण के दौरान शेष 7600 किलोग्राम साँस को जांच रिपोर्ट आने तक बिक्री हेतु रोकते हुए सीज कर दिया गया। संबंधित बैच का पूर्व में अनसेफ पाया गया स्टॉक मौके पर नहीं मिला। निमाता को निर्देशित किया गया कि वह संबंधित बैच की समस्त सामग्री को होलसेलर एवं रिटेलर से तत्काल वापस मंगवाए।

मौके पर फूड हैलडर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा। विभाग द्वारा जिले में खाद्य नमूनीकरण और निरीक्षण की कार्रवाई निरंतर जारी है।

पंजाब ने दिया पानी का झटका, जैसलमेर तक असर, किसान धरने पर

बीकानेर । पश्चिमी राजस्थान में फसलें पकाव पर हैं और ऐसे में अचानक से पंजाब ने राजस्थान के किसानों को पानी का जोर का झटका दिया है। इसका असर हनुमानगढ़ - श्रीगंगानगर से लेकर बीकानेर और जैसलमेर तक पहुंचा है। जैसलमेर में तो पानी की मांग को लेकर किसान धरने तक आ गए।

दरअसल इन दिनों गेहूं, जौ, चना, सरसों समेत रबी की तमाम फसलें पकाव हैं।पछेती फसलों को आखिरी पानी की जरूरत है। उसके लिए पानी की मांग भी बढ़ गई। किसानों को 3 समूह की बारी में पानी मिल रहा है मगर

बोते एक सप्ताह से पानी का ऐसा झटका लगा कि किसान तिलमिला गया। किसानों की बारियां पिट गईं। वो भी ऐसे मौके पर जब फसलों को आखिरी पानी चाहिए। पानी कम मिलने की वजह पंजाब की सरहिंद फीडर की मरम्मत बताई जा रही है। दरअसल पंजाब इन दिनों सरहिंद फीडर की मरम्मत कर रहा है। इसलिए वो नहर पूरी तरह खाली करनी पड़ी। क्योंकि दोनों नहरें बराबर पर चलती हैं इसलिए दूसरी नहर में पानी का ज्यादा दबाव दिया नहीं जा सकता इसलिए पंजाब ने राजस्थान फीडर में अचानक पानी कम कर दिया। इतना कम कर दिया। राजस्थान को तीन समूह

दूषित मिल्क केक नष्ट करवाया

सीकर (निसं)। खादूश्यामजी के लक्खी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का शुद्ध व ताजा खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार खाद्य वस्तुओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं खाद्य सामग्री की जांच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक महरिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा लगातार वस्तुओं की जांच व प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने रीगस में 394 किलोग्राम मिल्क केक और 70 किलोग्राम अवधिपात्र खाद्य सामग्री नष्ट करवाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया और सुरेश कुमार शर्मा ने पिकअप गाड़ी द्वारा खादू मेले में सप्ताई किए जा रहे मिल्क केक एवं मावे की मिड्गाई के सैम्पल लेकर मिलावट की आशंका पर 394 किलोग्राम मिल्क केक व मावा मिड्गाई को वाहन चालक निहानचंद निवासी घासली जिला खैरथल तिजारा की सहमति से जेसीबी से गाडू खुदवाकर नष्ट करवाया। साथ ही मिल तिराह, बीकानेर पास स्टैंड पर खाद्य वस्तुओं की दुकानों का निरीक्षण किया।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति 'विशिष्ट' श्रेणी, नागौर. (राज.)

क्रमांक : 20571218 दिनांक : 16.02.2026

निविदा आमंत्रित सूचना वर्ष 2026-27 (कम्प्यूटर ऑपरेटर)

कृषि उपज मण्डी समिति, नागौर में निम्न निविदाओं को जिसकी अनुमानित लागत 25.00 लाख रुपये है । राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों / संस्थाओं से ठेका पद्धति पर वार्षिक दर अनुबन्ध के आधार पर शर्तारहित निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका NIB NO. DAM2526A0735 व UBIN NO. DAM2526SLRC01224 है।

जिससे सम्बन्धित विस्तृत विवरण <http://www.sppp.rajjasthan.gov.in> पर देखा व डाउनलोड की जा सकता है।

राज.संवाद / सी / 25 / 20912

सचिव

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति समरानियां जिला बारां (राज.)

क्रमांक : 587-94 दिनांक : 16.02.2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति, समरानियां द्वारा चौकीदारी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, जल व्यवस्था, कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन व्यवस्था, प्रकाश रखरखाव व्यवस्था एवं कियोस्क ठेका हेतु रजिस्टर्ड प्रतिष्ठित फर्मों /अधिकृत जिलरों/ वित्रेताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट / एस.पी.पी.पी. पोर्टल (www.eproc.rajjasthan.gov.in/ www.sppp.rajjasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन /ऑफलाईन निविदाएं दिनांक 04.03.2026 को सायं 6:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sppp.rajjasthan.gov.in/ www.eproc.rajjasthan.gov.in व विभागीय पोर्टल agriculture.rajjasthan.gov.in/ www.mandi पर भी देखी जा सकता है। निविदा की अनुमानित कुल लागत 55.50 लाख रु. है।

NIB Code No. --: DAM2526A0727	NIB Code No. --: DAM2526A0728
UBN NO. --: DAM2526WSOB01216	UBN NO. --: DAM2526WSOB01217
UBN NO. --: DAM2526WSOB01217	UBN NO. --: DAM2526WSOB01218
UBN NO. --: DAM2526WSOB01218	UBN NO. --: DAM2526WSOB01219
UBN NO. --: DAM2526WSOB01219	UBN NO. --: DAM2526WSOB01221
UBN NO. --: DAM2526WSOB01221	UBN NO. --: DAM2526WSOB01222

राज.संवाद / सी / 25 / 20910

सचिव

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

Rajasthan High Court Campus, Jhalamand, Jodhpur - 342016

Email: secretary@barcouncilofrajasthan.org, Web: www.barcouncilofrajasthan.org

Phone : 0291-2545066, 2545251

Ref.No. BCR/Not.1/Elect/Ju/2026/01 Dated : 20-02-2026

Bar Council Rajasthan Election Notification, 2026

The Bar Council Rajasthan is hereby notified in terms of Order dated 18th November, 2025 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No.1319/2023 titled as M. Varadhan vs. Union of India and Ors. The Schedule of the Election is as under:-

	1	Date of Election Notification	20 th February, 2026
	2	Preparation and Publication of Provisional electoral rolls	07 th March, 2026
	3	Inviting objections to the electoral rolls	08 th March, 2026 to 14 th March, 2026
	4	Publication of final electoral rolls	21 st March, 2026
	5	Receipt of Nominations at the Office of Bar Council of Rajasthan at Jodhpur (Physical mode or by Regd. AD/Speed Post mode)	22 nd March, 2026 to 28 th March, 2026 10:00AM to 05:00 PM
	6	Scrutiny of nomination documents	29 th March, 2026 & 30 th March, 2026
	7	Publication of list of candidates	30 th March, 2026
	8	(i) Total number of seats (ii) Number of seats for which election is to be held (iii) To be co-opted (iv) Minimum number of seats that have to be filled from amongst the advocates who have been on the State Rolls for at least 10 years (v) Minimum number of seats that have to be filled from amongst the Women candidates	25 seats 23 seats 02 seats 12 seats 05 seats
	9	Last date of withdrawal of candidature	31 st March, 2026 to 2 nd April, 2026 upto 05:00 PM
	10	Publication of the final list of candidates	2 nd April, 2026 After 05:00 PM
	11	Elections as per preferential system of votes (Date of Polling)	22 nd April, 2026 10:00 AM to 05:00 PM
	12	Assembling of Ballot Boxes	22 nd April, 2026 to 28 th April, 2026
	13	Scrutiny of Ballot Boxes and counting of votes	29 th April, 2026
	14	Publication of result	On completion of counting

Rajasthan Bar Council is directed to take appropriate steps for publication of this notice in the Official Gazette and two newspapers. Rajasthan Bar Council shall put this notification on the website of the Bar Council of Rajasthan as well as on the notice board of Bar Council of Rajasthan and Bar Associations.

Note : (i) Nomination forms shall be available for sale at the office of Bar Council of Rajasthan at Jodhpur on payment of Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand Only). Maximum 4 (four) nomination papers will be issued per candidate.

(ii) Every nomination paper shall be accompanied by a non-refundable fee. of Rs. 1,25,000/- (Rupees One Lakh Twenty-Five Thousand Only) by way of Bank Draft / Bankers Cheque in favour of "BAR COUNCIL OF RAJASTHAN" payable at Jodhpur or online.

(iii) An Advocate belonging to the specially abled category contesting the Election of the Bar Council shall be required to pay a symbolic nomination fee of Rs. 15,000/- (Rupees Fifteen Thousand Only) by way of Bank Draft / Bankers Cheque in favour of "BAR COUNCIL OF RAJASTHAN" payable at Jodhpur or online instead of Rs. 1,25,000/- (Rupees One Lakh Twenty-Five Thousand Only), as per Order dated 5th January, 2026 passed by the Hon'ble Supreme Court of India, in Pankaj Sinha vs. Bar Council of India & Ors. in Writ Petition(s) (Civil) No.(s) 1261/2025.

(iv) There shall be no separate ballot paper for the women advocates contesting the Election of Bar Council of Rajasthan, as per Order dated 16th January, 2026 of the Hon'ble Supreme Court of India.

Acting Secretary,
Bar Council of Rajasthan
Issued with the approval of
High-Powered Election Committee

कुकर्म करने वाले को 20 साल की सजा

चूरू, (कासं)। पोक्सो कोर्ट चूरू के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता (जिला न्यायाधीश सर्वग) ने आज एक फैसला सुनाते हुए 13 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म